न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कमला अलारिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–11/2021

लालचन्द पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। –प्रार्थी

बनाम

1. हरीराम पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णलाल पुत्र हरीराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
4. उप पंजीयक महोदय सूरतगढ़।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11–14 कोलोनाईजेशन एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री रामनारायण जालप,अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सोमप्रकाश शर्मा, संजय शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी 1 व 2
3. पैरोकार राज, सूरतगढ

:: निर्णय ::

दिनांक–09.02.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी लालचन्द ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी 1 के नाम राजस्व जमाबन्दी में चक 3 बी.एन.एम.तहसील सूरतगढ़ पत्थर नम्बर 14/31 के किला नम्बर 7 ता 14–18–19 में 10.00 बीघा कमांड आवंटन अधिकारी सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा0न0यो0सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 27.12.75 को पुख्ता आवंटन हुआ। यह आवंटन अप्रार्थी 1 को विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन किया गया था। जिसमें अप्रार्थी 1 का नाम हरीराम पुत्र गणेशाराम अंकित है। अप्रार्थी 1 हरीराम के पिता का नाम दुलाराम है दुलाराम व गणेशाराम दोनों आपस में सगे भाई है गणेशाराम के कोई संतान नहीं थी गणेशाराम की केवल वारिस उसकी पत्नि सुन्दरदेवी थी गणेशाराम व सुन्दर देवी के संतान पैदा नहीं हुई। अप्रार्थी 1 के पिता का नाम दुलाराम है ना कि गणेशाराम है अप्रार्थी 1 हरीराम ने हरीराम पुत्र गणेशाराम बन कर गलत तथ्य अंकित करवाकर उक्त रकबा फर्जी तरीके से यह करवाया है जो गैर कानूनी एवंत थ्य छुपाकर आवंटन करवाया गया हैव निरस्ती योग्य है। अप्रार्थी 1 हरीराम पुत्र दुलाराम है करीराम पुत्र दुलाराम के नाम की वोटरलिस्ट 2008, 2013, 2019, 2020 संलग्न है। जिससे साबित है कि हरीराम पुत्र दुलाराम है ना कि हरीराम पुत्र गणेशाराम है। हरीराम पुत्र दुलाराम के नाम आवंटन करवाने के बाद खातेदारी को विधि विरूद्ध जारी की है। अप्रार्थी 1 ने भली भांति जानकर आवंटन पत्रावली में शपथपत्र व प्रार्थना पत्र में हरीराम पुत्र गणेशाराम दर्शाते हुए पेश किया व अप्रार्थी 1 ने आवंटन पत्रावली में पहचान अपनी पहचान के दसतावेज भी कुछ भी पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि हरीराम पुत्र गणेशाराम है। अप्रार्थी 1 हरीराम पुत्र उक्त रकबा रकबा अपने पुत्र अप्रार्थी 2 के नाम उपहार संलेख करवा दिया है जो गलत तरीके से करवाया गया है। अप्रार्थी 1 करीराम पुत्र दुलाराम ने अपने नाम से चक 3 बीएनएम प.नं. 15/3 कि.नं .1 की 0.253 हैक्टर खातेदारी अपने पुत्र अप्रार्थी 2 के पक्ष में करवा दी है जिसमें हरीराम पुत्र दुलाराम है। अप्रार्थी 1 हरीराम अपने पिता का नाम कहीं पर दुलाराम बता रहा है तो कहीं पर गणेशाराम बता है। लेकिन अप्रार्थी 1 हरीराम के पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

का नाम दुलाराम है जो सही नाम है हरीराम पुत्र गणेशाराम नहीं होने के कारण पुख्ता आवंटन रकबा खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि चक 3 बी.एन.एम.तहसील सूरतगढ़ पत्थर नम्बर 14/31 के किला नम्बर 7 ता 14–18–19 में 10.00 बीघा कमांड रकबा आवंटन आदेश व खातेदारी अधिकार निरस्त कर अप्रार्थी 2 के नाम से दर्ज उक्त रकबा आराजी राज किया जावे व कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज रजिस्टर कर अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये।

3. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मद 1 में अंकित भूमि मुझ अप्रार्थी 1 को दिनांक 27.12.75 को पुख्ता आवंटन हुई थी। आवंटन विधि विरूद्ध होना स्वीकार नहीं है। मेरे पिता का नाम गणेशाराम अंकित यह स्वीकार है। अप्रार्थी हरीराम जब साढ़े तीन साल का था जो उसके काका गणेशाराम ने पारिवारिक रिति रिवाज परम्परा रस्म अनुसार हरीराम को गोद ले लिया क्योंकि काका गणेशाराम के कोई संतान नहीं थी। लिखित गोदनामा तहरीर नहीं करवाया गया। जबकि बड़े भाई दुलाराम के तीन लड़के मनफुल, रामकरण व हरीराम थे तब से परवरिश बतौर पुत्र गणेशाराम ने की थी दुलाराम के परिवार से अलग रहने लगा। अप्रार्थी ने भूमिहीन 'सी' श्रेणी भूमि आवंटन हेतु प्रार्निा पत्र दिनांक 08.09.1975 को प्रस्तुत किया जिसमें पिता का नाम गणेशाराम अंकित किया है। दिनांक 04.12.75 को सदभावी काश्तकार 1955 से पूर्व का निवासी भूमिहीन मानकर पिता गणेशाराम की पैतृक भूमि में 14.10 बीघा कमांड भूमि हिस्से में आना मानकर 10.10बीघा कमांड भूमि का पात्र मानकर पत्रावली लाटरी सी श्रेणी आवंटन वास्ते रखी व उसी अनुसार दिनांक 27.12.1975 को शिकायत प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि आवंटन की गई जो बाद पूर्ण तहसीलदार जांच आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कीगई। कोई तथ्य छुपाया नहीं है। यदि अप्रार्थी हरीराम पुत्र दुलाराम बनकर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र देता तो 10.10 बीघा की बजाय 18.00 बीघा भूमि आवंटन करवाने का पात्र बनता। हरीराम अनपढ़ काश्तकार है अंगूठा लगाता है बाद में हस्ताक्षर करना सीख गया। शिकायताधीन भूमि के अलावा पहने या बाद में कोई ीाी भूमि राज्य सरकार से ना तो हरीराम पुत्र गणेशाराम बनकर और ना ही हरीराम पुत्र दुलाराम बनकर आवंटन करवाई है ना ही भूमि दुलाराम से प्राप्त की है। दुलाराम पुत्र लालू ने अपनी पैतृक सम्पति अपने पुत्र रामकरण व मनफूल को जरिये वसीयत 30.11 बीघा दिनांक 24.12.1999 को दे दी त्था उसने वसीयत में उल्लेख किया है कि हरीराम को वो कुछ भी नहीं दे रहा है। उसे अपनी चाची से जायदाद मिल चुकी है। इससे पूर्णतया साबित है कि हरीराम ने दुलाराम की भूमि में से कोई हिस्सा नहीं लिया है। अप्रार्थी 1 बदनीयत नहीं है और ना ही राज्य सरकार को धोखा देकर आवंटन करवाया है। मद 3 में वोटर लिस्ट का उल्लेख किया है। बरवक्त आवंटन 1975 में अप्रार्थी का वोट नहीं बना था। शिकायत में दर्ज वोटर सूची आवंटन के बाद की है परन्तु उनसे अप्रार्थी ने कोई नाजायज लाभ नहीं उठाया है कोठ धोखा देकर आवंटन नहीं करवाया है धारा 11–14 उप.अधि.के प्रावधान लागू कतई नहीं होते है। मद 6 में वर्णित तथ्य आवंटन से सम्बन्धित नहीं है। चक 3 बीएनएम प.नं. 15/3 की 1.00 बीघा भूमि नहीं है। यी भूमि सुदन्र चाची द्वारा दी गई है। वहां पर पिता का नाम दुलाराम अंकित है। उसका मुझ हरीराम के मूल पुख्ता आवंटन 1975 पर कोई प्रभाव नहीं है। अप्रार्थी हरीराम जो कि गणेशाराम का दत्तक पुत्र है बतौर दत्तक उसने पिता गणेशाराम की मृत्यु पश्चात किया क्रम आदि किये है। पुरोहित पुष्कर की लिखित तहरीर बतौर साक्ष्य पेश की है। गोदनामा लिखित व पंजीकृत नहीं करवाया गया क्योंकि इसमें मुझ अप्रार्थी 1 की कोई गलती नहीं है। उस वक्त उम्र मात्र साढ़े तीन वर्ष थी। गणेशाराम की मृत्यु 1990 में हुई। आवंटन 1975 में किया गया था। सन 1990 के बाद विरास्तन इन्तकाल के वक्त तत्कालीन सरपंच ने लिखित गोदनामा के अभाव में गणेशाराम की भूमि उसकी विधवा सुन्दर अकेले के नाम दर्ज कर दी। इसके बाद रिकार्ड में वल्दीयत कहीं गणेशाराम व कहीं दुलाराम दर्ज होती रही। परनतु उसका गैर कानूनी कोई फायदा उठाया नहीं गया। शिकायत में विचाराधीन आवंटन 1975 का है जो अर्सा करीब 45 वर्ष पुराना है। इतने पुराने आवंटन को तकनीकी बिन्दु मानकर निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय नियम के विरूद्ध है। प्रार्थी ने किसी भी तथ्य को छिपाकर आवंटन नहीं करवाया है। अतः शिकायत निराधार होने व निरस्त किये जाने योग्य होने तथा अप्रार्थी 1 अनपढ़, भोला भाला ग्रामीण काश्तकार होने, कानूनी पेचिदगियों से अनभिज्ञ होने व लगभग 45 वर्ष पुराना आवंटन होने से तकनीकी आधार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

पर निरस्त ना कर सहानुभूति अपनाकर आवंटन यथावत कायम रखा जावे तथा शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया है। अतः निवेदन है कि शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिकायत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी द्वारा जो तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया है उसे निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वे सही नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी 1 द्वारा आवंटन प्रा.पत्र में पिता की वल्दीयत बदलकर तथ्य छुपाकर आवंटन कराना बताया है वह सही नहीं है। अप्रार्थी हरीराम जब साढ़े तीन साल का था जो उसके काका गणेशाराम ने पारिवारिक रिति रिवाज परम्परा रस्म अनुसार हरीराम को गोद ले लिया क्योंकि काका गणेशाराम के कोई संतान नहीं थी। लिखित गोदनामा तहरीर नहीं करवाया गया। गणेशाराम के बड़े भाई दुलाराम के तीन लड़के मनफुल, रामकरण व हरीराम थे। अप्रार्थी हरीराम को गोद लेने के बाद से गणेशाराम द्वारा अप्रार्थी हरीराम की परवरिश बतौर पुत्र की गई थी तथा जैविक पिता दुलाराम के परिवार से अलग रहने लगा था। आवंटन प्रा.पत्र में पिता का नाम गणेशाराम अंकित करने से अप्रार्थी हरीराम को 14.00 बीघा पैतृक भूमि में हिस्सा मानकर 10.10 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई। यदि अप्रार्थी हरीराम आवंटन प्रा.पत्र में पिता का नाम दुलाराम अंकित करता तो भूमिहीन श्रेणी में 18.00 बीघा भूमि आवंटन होती। अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी भी तथ्य को छिपाकर आवंटन नहीं करवाया है। मूल आवंटन पत्रावली में तहसीलदार सूरतगढ द्वारा बाद जांच जरिये फोटो फार्म भूमिहीन व सदभावी काश्तकार होना अंकित किया है तथा पिता का नाम गणोशाराम अंकित है। समस्त तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच होने के बाद तथा सलाहकार समिति की राय से आवंटन अधिकारी द्वारा विधि सम्मत आवंटन किया गया। जैविक पिता दुलाराम पुत्र लालूराम ने अपनी भूमि की वसीयत अप्रार्थी हरीराम के अलावा मनफुल व रामकरण के पक्ष में की गई तथा वसीयत में अंकित किया कि हरीराम को उसकी चाची सुन्दर से भूमि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार अप्रार्थी को अपने जैविक पिता की सम्पति में कोई हिस्सा नहीं मिला। अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में दस्तावेज विद्युत बिल,सहकारी समिति चालान आदि प्रस्तुत किये गये है जिसमें पिता का नाम गणेशाराम अंकित है। हरीराम पुत्र दुलाराम के नाम से कोई फायदा नहीं लिया गया है। आवंटी द्वारा किया गया ऐसा कृत्य या भूल जिससे उसकी आवंटन पात्रता प्रभावित नहीं होती है उस पर धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते है आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे किसी भी प्रकार से साबित नहीं कराया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11–14 की ओर ध्यान दिलाया।

7. उभय पक्ष को बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का हवाला देते हुए अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पिता का नाम दुलाराम की बजाय गणेशाराम अंकित किया जाकर तथ्य छुपाये जाकर सरकार को धोखा देकर आवंटन कराना बताते हुए उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रत्येक बिन्दु का विस्तार से विवेचन करते हुए बताया कि अप्रार्थी के चाचा गणेशाराम के कोई संतान नहीं होने के कारण अप्रार्थी के लगभग साढ़े तीन वर्ष की उम्र में गणेशाराम द्वारा गोद ले लिया गया था तथा गोद लेने के बाद चाचा गणेशाराम व चाची सुन्दर द्वारा ही बतौर पुत्र परवरिश की गई तथा गणेशाराम द्वारा ही हरीराम की शादी किया जाना बताया है। पिता गणेशाराम व माता सुंदरदेवी की मृत्यु होने के बाद हरीराम द्वारा ही मृत्यु के बाद सामाजिक रीति रिवाज,क्रिया कर्म आदि कार्य किये गये जो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रसीदात धर्मशाला हरिद्वार से प्रकट होता है। प्रार्थी का मुख्य आरोप है कि आवंटन पत्रावली में हरीराम ने पिता का नाम गणेशाराम गलत अंकित किया है अप्रार्थी दुलाराम का पुत्र है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में दस्तावेज वसीयतनामा दुलाराम की छाया प्रति में दुलाराम ने अपनी भूमि पुत्र मनफुल व रामकरण को दी गई है। अप्रार्थी हरीराम को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। वसीयत में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

दुलाराम ने अंकित किया है कि उसका पुत्र हरीराम उससे अलग रहता है तथा हरीराम को चाची सुंदर से भूमि प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी ने पत्रावली में भादर पुत्र दूदाराम, मनफुल पुत्र दूलाराम, रामेश्वर पुत्र आदूराम के शपथपत्र प्रस्तुत किये है जिन्होने हरीराम को गणेशाराम द्वारा बचपन में पारिवारिक जाति रीति रिवाज से गोद लेना तथा दुलाराम की चल अचल सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं मिलना बताया है तथा मतदाता सूची सन 1994 में क्र सं. 158 पर हरीराम पुत्र गणेश अंकित है। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन प्रा.पत्र में हरीराम ने पिता का नाम गणेशाराम अंकित किया है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा इसी आधार पर जांच की जाकर हरीराम को भूमिहीन तथा सदभावी काश्तकार होना प्रमाणित किया जाना प्रकट होता है तथा संलग्न दस्तावेज बही व बिजली बिल सहकारी समिति चालान, शपथपत्र आदि में हरीराम पुत्र गणेशाराम अंकित है। जिससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा शिकायत में अंकित भूमि तथ्य छुपाकर आवंटन कराया जाना नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अप्रार्थी को आवंटित भूमि की तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पूर्ण जांच करने के बाद ही 45 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार जारी हुए है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की कई नजीरें आ चुकी है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इतने पुराने आवंटन को शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 को तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पात्रता की जांच किये जाने तथा गणेशाराम से प्राप्त होने वाली भूमि के हिस्सा को ध्यान में रखते हुए ही भूमिहीन श्रेणी में पुख्ता आवंटन किया गया तथा तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा सभी बिन्दुओं की जांच करने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान हुए थे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत आधारहीन प्रतीत होती है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। आवंटन पत्रावली अनुसार अप्रार्थी हरीराम आवंटन के समय अनपढ़ था तथा बाद में हस्ताक्षर करने लग गया। आवंटी द्वारा किया गया ऐसा कृत्य या भूल जिससे उसकी आवंटन पात्रता प्रभावित नहीं होती है उस पर धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते है आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 धारा 11–14 खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर रो कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner